

**न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा,  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)**

आप.प्रकरण.क.-665 / 2012  
संस्थित दिनांक-13.08.2012  
फाईलिंग क.234503000922012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-मलाजखण्ड,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.) ----- **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

गुड्डू उर्फ प्रेमकुमार पिता श्यामलाल, उम्र-34 वर्ष,  
निवासी-ग्राम कोल्हियाटोला मोहगांव, थाना मलाजखण्ड,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.) ----- **आरोपी**

// **निर्णय** //

**(आज दिनांक 21.11.2017 को घोषित)**

**01-** आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337(दो बार), 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक 10.05.2012 को 21:00 बजे ग्राम अण्डीटोला करुह थानांतर्गत हाड़ा झोड़ी नाला के आगे मेन रोड़ लोकमार्ग पर वाहन मोटरसायकल क्रमांक सी.जी.04/जेड.एम.-9837 को उपेक्षापूर्वक तथा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया, उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक तथा उतावलेपन से चलाकर आहत धरमलाल एवं स्वयं को स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया, उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक तथा उतावलेपन से चलाकर आहत धरमलाल को टक्कर मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया। उक्त वाहन को बिना वाहन अनुज्ञप्ति तथा बीमा कराये चलाया।

**02-** अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 10.05.12 को रात्रि 09:00 बजे वह बैलगाड़ी से मजदूरी कर घर वापस जाते समय अण्डीटोला करुह के हाड़ा जोड़ी नाले के उस पार कोल्हियाटोला मोहगांव की तरफ से गुड्डू अपनी मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी.04/जेड.एम.-9837 को तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये उसके बैलगाड़ी को पीछे तरफ से टक्कर मार दिया, जिससे बैलगाड़ी का आसकड़ बेण्ड हो गया एवं आसकड़ के उपर लगी लकड़ी की डोंगी फट गई। गुड्डू की मोटर सायकिल के पीछे बैठे उसके बड़े भाई धरमलाल के दाहिने पैर के पिंडली के नीचे चोटें आई। गुड्डू तुरंत मौके से भाग गया, तभी गांव का

तेडू उर्फ दलसिंह आया और गांव जाकर रामचरण को घटना की बात बताया, जिसके बाद गांव के लोगों ने आकर देखे। फिर उसके पिता और अशोक कलार ने उसके बड़े भाई धरमलाल को ईलाज के लिये बालाघाट ले गये। आरोपी की मोटर सायकिल में पीछे बैठे मुर्तजर गवाह को भी चोटें आई थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी को जमानत मुचलका पर रिहा किया गया एवं मुर्तजर गवाह की चोट डॉक्टर द्वारा ग्रीवियस इन्जुरी लेख करने से प्रकरण में धारा-338 भा.द.वि. का ईजाफा किया एवं आरोपी के पास ड्रायविंग लायसेंस एवं बीमा न होने से प्रकरण में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-3/181 तथा 146/196 का ईजाफा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

**03—** आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337(दो बार), 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फंसाया जाना प्रकट किया। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।

**04—** प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1-क्या आरोपी ने दिनांक 10.05.2012 को 21:00 बजे ग्राम अण्डीटोला करूह थानांतर्गत हाड़ा झोड़ी नाला के आगे मेन रोड लोकमार्ग पर वाहन मोटरसायकल क्रमांक सी.जी.04/जेड.एम.-9837 को उपेक्षापूर्वक तथा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2-क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक तथा उतावलेपन से चलाकर आहत धरमलाल को टक्कर मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया ?

3.क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वाहन अनुज्ञप्ति तथा बीमा कराये चलाया।

**विवेचना एवं निष्कर्ष :-**

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 03**

**नोट—** सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने के आशय से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

**05—** साक्षी मोहपत अ.सा.02 का कहना है कि वह गुड्डु उर्फ प्रेमकुमार को जानता है। वह आहत धरमलाल को भी जानता है। घटना उसके

न्यायालयीन कथन से लगभग तीन साल पुरानी ग्राम अंडीटोला की रात्रि के समय की है। वह मोहगांव बाजार से मजदूरी करके अपनी बैलगाड़ी लेकर अपने घर जा रहा था तो बीच रास्ते में अंडीटोला के पास आरोपी अपनी मोटरसायकिल पर धरमलाल को पीछे बैठाकर लाया और उसकी बैलगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी थी। उसने आरोपी की मोटरसायकिल का नंबर रात होने के कारण नहीं देख पाया था। उसने अपना ईलाज मोहगांव अण्डीटोला में करवाया था। उसने घटना की रिपोर्ट थाना मलाजखण्ड में लिखाई थी जो प्रदर्श पी-01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस को उसने घटनास्थल बताया था और पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसका अंगूठा निशानी है। पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ की थी और उसने पुलिस को घटना के संबंध में बता दिया था।

**06—** साक्षी मोहपत अ.सा.02 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी मोटर सायकिल को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये लाया और उसकी बैलगाड़ी को टक्कर मार दी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह बैलगाड़ी पर बैठकर सामने की ओर अपना चेहरा करके बैलों को हांकते हुये ले जा रहा था, घटना के समय रात्रि अंधेरी थी, उसकी बैलगाड़ी और उसके पास कोई उजाला नहीं था, पुलिस ने उसका कोई डॉक्टरी परीक्षण नहीं कराया था, क्योंकि उसे कोई चोट नहीं आई थी, घटना के समय कौन मोटर सायकिल चला रहा था वह नहीं बता सकता, क्योंकि अंधेरा था जब धरमलाल गड्ढे में गिरा था, तब उसने देखा था, जो मोटर सायकिल उसकी बैलगाड़ी से टकराई थी वह धीमी गति से आई थी। उसने अपने पुलिस बयान प्रदर्श डी-2 में यह लिखा दिया था कि जिस मोटर सायकिल ने उसकी बैलगाड़ी को टक्कर मारी थी उसमें लाईट नहीं थी। साक्षी के अनुसार पुलिस ने उसे कथन पढ़कर बताये थे। साक्षी ने स्वीकार किया है कि जो मोटर सायकिल बैलगाड़ी से टकराई थी, उसका नंबर एवं कौन सी कम्पनी की थी नहीं बता सकता।

**07—** साक्षी मोहपत अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को घटनास्थल नहीं बताया था और पुलिस ने मौके पर आकर घटनास्थल का मौका-नक्शा तैयार नहीं किया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल के पास रोड किनारे नदी है और उसी नदी के पुल पर से बैलगाड़ी जा रही थी, उस नदी के पुल पर से पानी बह रहा था, पानी की आवाज भी आ रही थी, उस पानी के बहाव की आवाज से गाड़ी को लेकर एकाएक दाहिनी ओर बड़े और उसी समय जिस गाड़ी में लाईट नहीं थी वह गाड़ी आ गई और इसी कारण मोटर सायकिल वाले गड्ढे में गिर गये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि गड्ढे में गिरने के कारण धरमलाल को चोट आई

थी।

**08—** साक्षी धरमलाल अ.सा.01 का कहना है कि वह गुड्डु उर्फ प्रेमकुमार को जानता है। वह आहत कोंदा उर्फ मोहपत को भी जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन साल पूर्व की है। घटना कोल्हियाटोला मोहगांव की है। वह मजदूरी का काम करता है। घटना दिनांक को वह गुड्डु उर्फ प्रेमकुमार का सामान बैलगाड़ी से लेकर मोहगांव बाजार गया था। फिर उसने उससे कहा कि उसका एक सामान छूट गया है उसे दुबारा लेकर आते है। उसे अपनी मोटर सायकिल पर बैठाकर मोहगांव न ले जाते हुये अंडीटोला ले गया। आरोपी ने गाड़ी को थोड़ा तेजी से चलाकर मोहपत की बैलगाड़ी को टक्कर मार दिया था, घटना रात्रि के 10:00 बजे की है। घटना के बाद वह बेहोश हो गया था। घटना के बाद आरोपी घटनास्थल से भाग गया था। उसका उपचार जिला चिकित्सालय बालाघाट में हुआ था। पुलिस ने उससे बालाघाट अस्पताल में पूछताछ की थी और उसके बयान लिये थे। उसे आरोपी की गाड़ी का नम्बर याद नहीं है वह टक्कर लगने से बेहोश हो गया था।

**09—** साक्षी धरमलाल अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह मोटरसायकिल पर पीछे बैठा था, जिस प्रकार सामान्य रूप से मोटरसायकिल चलाई जाती है, उसी प्रकार डामर रोड से मोटर सायकिल घटना के समय चलाई जा रही थी, घटना के समय अंधेरा था और लाईट नहीं थी, घटना गांव के बाहर की है, वह नहीं देख पाया कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी, जहां दुर्घटना हुई उसी के पास में एक पुलिया थी उसके नीचे से पानी बह रहा था, उसी रोड पर मोहपत उर्फ कोंदा बैलगाड़ी चला रहा था। उसे नहीं मालूम की बैलगाड़ी जैसे ही पुलिया के पास गई, वैसे ही पानी बहने की आवाज सुनकर रात्रि को बैल चमक गये थे और रोड के दाहिनी ओर बैलगाड़ी लेकर एकाएक आ गये थे। उसे नहीं मालूम कि उक्त बैलगाड़ी से ही वह जिस मोटर सायकिल पर बैठा था उस मोटर सायकिल को धक्का लगा था।

**10—** साक्षी धरमलाल अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह बैलगाड़ी का धक्का लगने से मोटर सायकिल से नीचे गड्ढे में गिर गया था और उसके बाद बेहोश हो गया था, उसके बाद उसे कोई होश नहीं था, वह जिस मोटर सायकिल पर बैठा था, उस मोटर सायकिल का नंबर एवं कौन सी कंपनी की मोटर सायकिल थी वह नहीं बता सकता। वह पढ़ा लिखा नहीं है उसे उसके बयान पुलिस ने पढ़कर नहीं बताये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके बयान में पुलिस ने क्या लिखा है वह नहीं बता सकता, उसने अपने पुलिस बयान प्रदर्श डी-1 में यह बता दिया था कि वह



गड़्हे में गिर गया था और बेहोश हो गया था और यह बात उसके बयान में न लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसे घटना के समय आरोपी ने अपनी मोटर सायकिल पर बैठाकर नहीं ले गया था।

**11—** साक्षी दलसिंह अ.सा.05 का कहना है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन वर्ष पूर्व की है। कोंदा उर्फ मोहपत उसके घर आया था और उसे बताया था कि उसकी बैलगाड़ी को किसी ने टक्कर मार दिया है। इसके अलावा उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके कोई बयान नहीं लिये थे। उसके समक्ष कोंदा उर्फ मोहपत से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-4 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस द्वारा उसके समक्ष मोहपत की बैलगाड़ी का नुकसानी पंचनामा नहीं बनाया गया था। नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-7 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

**12—** साक्षी दलसिंह अ.सा.05 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 10.05.2012 की रात्रि 9:00 बजे की है, हांडाजोड़ी नाले की तरफ से टकराने की आवाज आई थी, वह हांडाजोड़ी नाले तरफ गया था, उसने देखा तो गांव का मोहपत अपनी बैलगाड़ी से आ रहा था, मोटर साईकिल क्रमांक-सी.जी-04/जेड.एच-9837 को आरोपी ने तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर बैलगाड़ी को टक्कर मार दिया था, मोहपत को दाईं पिंडली में चोट आई थी, टक्कर लगने से बैलगाड़ी का आसकूड़ बेण्ड हो गया था, आरोपी मौके से भाग गया था, आरोपी द्वारा अपनी मोटर साईकिल तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक चलाने से मोहपत कलार को चोट लगी थी और उसकी बैलगाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसने घटना की जानकारी रामचरण कलार को दिया था, घटना के समय बहुत से लोग उपस्थित हो गए थे, आहत धरमलाल कलार को भी चोटें आई थी, उसका ईलाज बालाघाट में हुआ था, मोहपत बैलगाड़ी लेकर अपने घर चला गया था और वह भी अपने घर चला गया था। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रदर्श पी-9 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह भी अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष कोंदा उर्फ मोहपत से एक बैलगाड़ी के दाहिने तरफ लोहे का आसकूड़ जो बेण्ड था, जप्त किया था। उसने जप्ती पत्रक को पढ़कर नहीं देखा था, क्योंकि वह पढ़ा लिखा नहीं है। पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किये थे। यह भी अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष बैलगाड़ी की नुकसानी का पंचनामा बनाया था, तभी उसने उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी के अनुसार पुलिस के कहने पर पंचनामे में हस्ताक्षर किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि दुर्घटना कैसी हुई उसे जानकारी नहीं है, दुर्घटना की रात्रि लगभग 9-10 बजे थे, इसलिए अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने आहत को पानी दिया था। पुलिस ने प्रदर्श पी-4

पर हस्ताक्षर क्यों कराये थे, उसे मालूम नहीं है। पुलिस के कहने पर उसने हस्ताक्षर किये थे।

**13—** साक्षी अशोक तिल्लासी अ.सा.06 का कहना है कि वह आरोपी को जानता है। घटना करीब चार साल पूर्व रात्रि नौ-साढ़े नौ बजे आड़ा झोड़ी नाले के पास की है। घटना के समय वह मोहगांव से काम से वापस लौट रहा था। घटना के समय आरोपी गुड्डू अपनी मोटरसाइकिल से अण्डीटोला तरफ जा रहा था, उसके साथ मोटरसाइकिल पर धरमलाल पीछे बैठा हुआ था। आरोपी गुड्डू ने अपनी मोटरसाइकिल को पीछे से मोहपत की बैलगाड़ी में टक्कर मार दिया। घटना में धरमलाल का पैर टूट गया था। घटना के बाद वह अन्य लोगों के साथ धरमलाल को ईलाज हेतु बलाघाट ले गया था। पुलिस ने उसके समक्ष बैलगाड़ी जिसका आसकुड बेण्ड हो गया था, जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.04 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। वह गुड्डू की मोटरसाइकिल का नम्बर नहीं बता सकता। गुड्डू ने अपनी मोटरसाइकिल को तेज गति से चलाकर एक्सीडेंट किया था।

**14—** साक्षी अशोक तिल्लासी अ.सा.06 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि वह घटना के समय अपने घर पर था। उसने पुलिस कथन प्र.डी.01 में वह अपने घर पर था और उसे पता चला था नहीं लिखाया था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि घटना की रात्रि अंधेरा था, जिस मोटरसाइकिल से बैलगाड़ी टकरायी थी, उस मोटरसाइकिल को उसने नहीं देखा और उसका वह नम्बर नहीं बता सकता, उसके पहुंचने से पहले ही घटनास्थल से मोटरसाइकिल वाला चला गया था। साक्षी के कथन अनुसार एक्सीडेंट वाला तुरंत चला गया था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि दुर्घटना के समय कौन मोटरसाइकिल चला रहा था वह नहीं देख पाया, उसके सामने दुर्घटना घटित नहीं हुई थी, वह घटना के समय में घटनास्थल पर नहीं था, इसलिए नहीं बता सकता कि घटना किसकी गलती से हुई थी। उसे याद नहीं है कि उसने जप्ती पत्रक प्र.पी.04 पर अपने हस्ताक्षर कहाँ किये थे। यह स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक पर पुलिसवालों के कहने पर उसने हस्ताक्षर कर दिये थे, जिसे उसने पढ़कर नहीं देखा था और ना ही पुलिस ने पढ़कर बताया था। यह स्वीकार किया है कि उक्त जप्ती पत्रक पर पुलिस ने उससे किस संबंध में हस्ताक्षर कराये थे वह नहीं बता सकता।

**15—** साक्षी ईश्वरलाल अ.सा.07 का कहना है कि वह आरोपी को जानता है। घटना करीब छः वर्ष पूर्व रात्रि साढ़े नौ बजे अण्डीटोला और कोल्हियाटोला के बीच नाला के पास की है। घटना के समय वह अपने घर पर था, उसे पता चला कि नाला के पास उसके लड़के मोहपत की बैलगाड़ी को

आरोपी प्रेमकुमार ने अपनी मोटरसाइकिल से ठोस मार दिया था। घटना में आरोपी के साथ मोटरसाइकिल में सवार धरमलाल के पैर पर चोट आयी थी। वह घटनास्थल पहुँचा तो देखा कि धरमलाल का पैर टूट गया था। बैलगाड़ी में भी क्षति हुई थी। घटना के बाद धरमलाल को ईलाज के लिए बालाघाट ले गये थे। दुर्घटना मोटरसाइकिल वाले की गलती से हुई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। वह आरोपी की मोटरसाइकिल का नम्बर नहीं बता सकता। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखा था और वह घटना के बाद घटनास्थल पर पहुँचा था, घटना के समय मोटरसाइकिल कौन चला रहा था वह नहीं बता सकता तथा वह यह भी नहीं बता सकता कि घटना किसकी गलती से घटित हुई थी।

**16—** साक्षी इंद्रपाल अ.सा.08 का कहना है कि वह आरोपी को जानता है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से कुछ जप्त नहीं किया था और ना ही आरोपी को गिरफ्तार किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से हीरोहोण्डा मोटरसाइकिल काले रंग की क्षतिग्रस्त हालत में क्रमांक सी.जी.04/जेड.एच.9837 मय कागजात के जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया था, परंतु गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-05 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, उसका आरोपी से समझौता हो गया है इसलिए आज न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे किस संबंध में और कहां दस्तखत कराये थे उसे जानकारी नहीं है।

**17—** साक्षी जितेन्द्र बघेल अ.सा.09 का कहना है कि वह आरोपी को जानता है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से कुछ जप्त नहीं किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से हीरोहोण्डा मोटरसाइकिल काले रंग की क्षतिग्रस्त हालत में क्रमांक सी.जी.04/जेड.एच.9837 मय कागजात के जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया था, परंतु गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-05 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, उसका आरोपी से समझौता हो गया है इसलिए आज न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे किस संबंध में और कहां दस्तखत कराये थे उसे जानकारी नहीं है।

**18—** साक्षी रामचरण अ.सा.11 का कहना है कि वह आरोपी को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब दो-तीन वर्ष रात्रि के समय ग्राम

हाड़ाजोड़ी तालाब के पास की है। घटना के समय गांव के धरमलाल को आरोपी गुड्डु ने अपनी मोटर सायकिल से टक्कर मार दी थी, जिससे उसके पैर में चोटें आई थी। वह घटना होने के बाद घटनास्थल पर पहुँचा तब आरोपी वहाँ से जा चुका था तथा धरमलाल चोटिल अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके बाद धरमलाल को अस्पताल भेज दिये थे। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी उसे नहीं मालूम, क्योंकि उसने घटना होते हुए नहीं देखी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने घटना नहीं देखी थी तथा घटना के बाद घटनास्थल पर गया था, दुर्घटना कैसे एवं किसकी गलती से हुई थी उसे नहीं मालूम क्योंकि वह घटना के समय घटनास्थल पर नहीं था, पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी, उसने आहत धरमलाल से भी कोई पूछताछ नहीं की थी और लोगों के बताये अनुसार बता रहा है कि आरोपी ने धरमलाल को टक्कर मारी थी।

**19—** साक्षी डॉ० एल.एन.एस. उइके अ.सा.04 का कहना है कि वह दिनांक 12.05.2012 को बी.एम.ओ. के पद पर मोहगांव में पदस्थ था। उस दिन थाना मलाजखण्ड से आरक्षक समुख सैयाम नम्बर 732 द्वारा आहत प्रेमकुमार को लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया था। परीक्षण करने पर उसने आहत को दो चोटें एक कटा-फटा घांव दायें पैर पर जो कि निचले भाग में स्थित था तथा एक कटा-फटा घांव दायें पैर के सोल्ड पर होना पाया था तथा एक खरोंच अनियमित आकार की बायें कपाल में स्थित थी। उक्त सभी चोटें बोथरी व कड़ी वस्तु से आना प्रतीत होती थी। चोट क्रमांक 01 व 02 हेतु उसने आहत को अस्थिरोग विशेषज्ञ व एक्स-रे विशेषज्ञ से जांच कराने की सलाह दी थी और चोट क्रमांक 3 का स्वरूप साधारण था। उसके मुलाहिजा परीक्षण के 24 से 48 घंटे के अंदर भर जायेंगे अगर किसी प्रकार की जटिलता ना हो तो। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रपी-08 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आहत को क्रमांक 03 की चोट यदि कोई कड़ी सतह पर गिर जाये तो आ सकती है, यदि कोई नषे की हालत में होकर स्वयं गिर जाये तो उक्त चोट आ सकती है।

**20—** साक्षी डॉ० सी.के. पारधी अ.सा.10 का कहना है कि वह दिनांक 11.05.2012 को मिताली अस्पताल बालाघाट में चिकित्सक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके अस्पताल में श्री धरमलाल तिल्लासी को ईलाज हेतु भर्ती किया गया था। उक्त मरीज ने बैलगाड़ी के चके से दाहिने पांव में चोट आना बताया था। उक्त मरीज को डॉ० एस०आर० पंवार, अस्थिरोग विशेषज्ञ के द्वारा उसके अस्पताल में भर्ती एवं ईलाज हेतु भेजा गया था। उक्त मरीज का ईलाज डॉ० श्री पंवार ने दिनांक 18.05.2012 तक किया तथा उक्त दिनांक को



ही मरीज को डिस्चार्ज किया गया था। दिनांक 11.05.2012 को मरीज के दाहिने पैर का एक्स-रे किया गया था, जिसमें मरीज की टिबिया व फिबुला में फ्रैक्चर था। दिनांक 14.05.2012 को प्लास्टर के पश्चात एक एक्स-रे पुनः किया गया। मरीज का भर्ती टिकिट प्र.पी.10 है तथा परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.11 है, जिनपर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि मरीज धरमलाल तिल्लासी का ईलाज डॉ० एस०आर० पंवार के द्वारा किया गया है, डॉ० पंवार के निर्देशन पर उसने उक्त मरीज को अपने अस्पताल में भर्ती किया था तथा डॉ० पंवार के निर्देशन पर ही उक्त मरीज को डिस्चार्ज किया गया था, डॉ० पंवार की सलाह पर ही उसने मरीज का एक्स-रे किया था, मरीज ने बैलगाड़ी से चोट लगने की बात बताई गई थी, जिसे वह आज अपने बयान में बता रहा है तथा मरीज दिनांक 18.05.2012 को ठीक स्थिति में था इसलिये उसे डिस्चार्ज किया गया था।

**21—** साक्षी श्यामदेव डोंगरे अ.सा.03 का कहना है कि वह दिनांक 11.0.2012 को पुलिस थाना मलाजखण्ड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को कोंदा उर्फ मोहपत कलार के द्वारा अपराध क्रमांक 63/12 की धारा 279, 337 भा.द.सं. के अंगर्गत रिपोर्ट चालक गुड्डू उर्फ प्रेमकुमार के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख किया था, जो प्रपी-01 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा दिनांक 11.05.2012 को आहत धरमलाल की एम.एल.सी. शासकीय अस्पताल मोहगांव से करवाया था, जो प्रपी-03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को मौके पर जाकर उसके द्वारा कोंदा उर्फ मोहपत, धरमलाल, धेडू उर्फ दलसिंह, रामचरण, ईश्वरलाल, अशोक के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। घटनास्थल पर जाकर दिनांक 11.05.2012 को कोदा उर्फ मोहपतसिंह की निशादेही पर मौका-नक्शा प्रपी-02 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रार्थी मोहपत उर्फ कोंदा के पेश करने पर एक बैलगाड़ी जप्त कर प्रार्थी को ही हिफाजतनामा पर दिया था, जो प्रपी-04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा गुड्डू उर्फ प्रेमकुमार से एक मोटरसाईकिल हीरोहोण्डा जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर सी.जी.04/जेड.एच.9837 क्षतिग्रस्त हालत में जप्त किया था, जो प्रपी-05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना उपरांत आरोपी प्रेमकुमार उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-06 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके एवं बी से बी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा प्रार्थी की बैलगाड़ी का नुकसानी पंचनामा मौके पर बनाया गया था, जो प्रपी-07 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना पूर्ण कर चालान थाना प्रभारी को प्रस्तुत कर न्यायालय में पेश किया था।

**22—** साक्षी श्यामदेव डोंगरे अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष

के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि प्रार्थी कोंदा उर्फ मोहपतसिंह ने प्रपी-01 की कोई सूचना लेख नहीं कराया थी, साक्षीगण मोहपतसिंह, धरमलाल, ईश्वर एवं अशोक ने उसके समक्ष किसी प्रकार का कोई कथन नहीं दिया था, उसने प्रकरण तैयार करने के लिये साक्षियों के कथन अपने मन से लेख किया है, उसने प्रपी-02 का मौकानक्शा प्रार्थी के बताये अनुसार तैयार नहीं किया है, मौका-नक्शा उसने थाने में बैठकर तैयार किया था, किन्तु यह स्वीकार किया कि प्रार्थी कोंदा उर्फ मोहपतसिंह को कोई चोट नहीं थी, उसका डॉक्टरी परीक्षण नहीं करवाया गया था। यह अस्वीकार किया कि उसने साक्षियों के समक्ष आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया था, उसने नुकसानी पंचनामा झूठा तैयार किया है, मोटरसाइकिल से बैलगाड़ी को टक्कर मारने की सूचना प्रथम सूचना पत्र में प्रार्थी द्वारा लेख नहीं कराया गयी थी, प्रार्थी ने उसे आरोपी द्वारा मोटरसाइकिल से बैलगाड़ी को टक्कर मारकर दुर्घटना होने के बारे में नहीं बताया था, प्रार्थी ने अपनी प्रथम सूचना पत्र एवं कथन में किस नम्बर की मोटरसाइकिल द्वारा ठोस मारने के संबंध में नम्बर लेख नहीं बताया था कि घटना के समय अंधेरी रात होने से मोटरसाइकिल चालक को नहीं देखा था। वह नहीं बता सकता कि पीड़ित धरमलाल ने अपने कथन प्रडी-01 में अंधेरी रात होने से वह गड्ढे में गिर गया था। यह अस्वीकार किया है कि उसने प्रकरण की झूठी विवेचना कर झूठा प्रकरण तैयार किया है।

**23—** उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को अभियुक्त द्वारा चालित वाहन से कारित दुर्घटना में आहत धरमलाल को घोर उपहति कारित हुई थी, परंतु उक्त दुर्घटना आरोपी की लापरवाही अथवा उपेक्षा से कारित हुई थी, इस संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। घटना के आहत धरमलाल अ.सा.01 ने घटना के समय मोटर सायकिल के सामान्य गति के चलने और दुर्घटना में गलती पता नहीं होने के कथन किये हैं। अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मोहपत अ.सा.02 ने भी वाहन के धीमी गति में होने और पुल पर अचानक गाड़ी के आने के कारण घटना होने के कथन किये हैं। दोनों साक्षीगण ने निर्विवाद रूप से स्वीकार किया है कि घटना के समय अंधेरा था और बैलगाड़ी पर कोई लाईट नहीं थी। मौका-नक्शा प्र.पी.02 से भी बैलगाड़ी तथा मोटर सायकिल अपनी दिशा में होना दर्शित है। ऐसी स्थिति में मात्र आहत तथा बैलगाड़ी एवं मोटर सायकिल की क्षति के आधार पर अभियुक्त के उतावलेपन का निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह संभावित है कि घटना अंधकार का परिणाम हो।

**24—** उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाये जाने के प्रकरणों में अभियोजन को संदेह से परे यह प्रमाणित करना होता है कि वाहन चालक द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय अनावश्यक जल्दबाजी व अविवेकपूर्ण गति से वाहन को चलाया जा रहा था या ऐसी कोई लापरवाही बरती गई थी, जिसके

कारण दुर्घटना हुई थी। अभियोजन साक्षीगण ने अपनी-अपनी साक्ष्य में आरोपी द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय वाहन को अनावश्यक जल्दबाजी एवं अविवेकपूर्ण गति से तथा जानबूझकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाया गया था, कोई तथ्य एवं परिस्थितियाँ प्रकट नहीं की है। अन्य किसी भी साक्षी ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त के गाड़ी चलाने के ढंग तथा उपेक्षा से समर्थित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को सार्वजनिक लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्वक तथा लापरवाही से वाहन चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया गया तथा आहत धरमलाल को टक्कर मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया।

**विचारणीय बिन्दु क्रमांक 04 का निष्कर्ष :-**

**25—** पूर्व विवेचना से दर्शित है कि घटना के समय आरोपी वाहन चला रहा था, परंतु वाहन को बिना अनुज्ञप्ति तथा बिना बीमा के चलाये जाने के संबंध में प्रकरण में लेशमात्र भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। किसी भी साक्षी ने उक्त संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध कोई विपरीत उपधारणा नहीं की जा सकती।

**26—** अतः अभियुक्त को भा.दं०सं० की धारा-279, 338 एवं मो.व्ही. एक्ट की धारा-3/181, 146/196 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

**27—** अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाते हैं।

**28—** प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसायकल क्रमांक सी.जी. 04/जेड.एम-9837 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

**29—** अभियुक्त विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा-428 जा०फौ० का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही /—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सही /—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)